अपील सूचना अधिकार संख्या 58/2022 (GCMS 2022/208)(आरटीआई नं. 21294308017449) धर्मपाल पुत्र लूणाराम मेघवाल निवासी चक 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 97858–14144) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी धर्मपाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं पलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी धर्मपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः

> चक 7 एल सी तहसील विजयनगर के मु.नं. 3, पत्थर नं. 150/345 की 25 बीघा कृषि भूमि सोनाराम पुत्र हरदासराम को उपनिवेशन कार्यालय, सूरतगढ़ द्वारा अलॉट की गई कृषि भूमि की मूल आवंटन फाईल, अलॉटमैंट फाईल बी/आर रजिस्टर व मिसल की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2015 दिनांक 12.09.2022 से अवगत करवाया कि उन्होंने अपने पत्रांक 171 दिनांक 20.07.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित जानकारी के आधार पर पत्रावली को गहनता पूर्वक तलाशा गया, लेकिन रिकॉर्ड रूप में बाद तलाश उक्त पत्रावली नहीं पायी गई है। जिसके अभाव में प्रार्थन पत्र का निस्तारण किया जाना संभव नहीं हैं। अतः आपका सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यदि आप दी गई जानकारी से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को निर्धारित अवधि में आवेदन कर राहत प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> सूरतगढ़

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री किसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested